



Neutral Citation Number- 2026:AHC:37655

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या - 5676/2026

शिवम शर्मा और अन्य याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : श्याम सुंदर

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या-4 से 6 द्वारा खसरा संख्या-610, 614, 517 और 607 पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के अनुरोध के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2/जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के समक्ष दिनांक 02.08.2025 को पहले ही एक अभ्यावेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा नया अभ्यावेदन दिया गया है तो प्रत्यर्थी संख्या- 2 मामले में शीघ्र निर्णय लेंगे।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया ।
6. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या- 2/जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या- 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा, और यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो अधिमानतः उसके बाद छह सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

(माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”